ResearchNext International Multidisciplinary Journal

Vol- 2, Issue- 2, April-June 2026 ISSN (O)- 3107-9725

Email id: editor@researchnextjournal.com Website- www.researchnextjournal.com

भारत और बांग्लादेश के मध्य संबंधः एक समीक्षा (भारत और पड़ोसी देश के संदर्भ में)

डॉ0 सुनीता महतो

विभागाध्यक्ष एवं सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग बी.बी.एम. कॉलेज बलियापुर, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद, झारखंड

Article Info: *(Recieved- 15/01/2026, Accept- 18/02/2026, Published- 03/04/2026)*

DOI- 10.64127/rnimj.2026v2i2005

सारांश– भारत के पड़ोसी देश भौगोलिक क्षेत्र की अभिव्यक्ति, लोकाचार, हमारी संस्कृति और परंपराओं के प्रतिबिंब हैं। ऐसे में भारत के पड़ोसी देश इसकी विदेश नीति के केंद्र में रहे हैं। भारत के विकास संबंधी विविध लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत का पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध होना आवश्यक है। दरअसल भारत के पड़ोसी देश इसके समक्ष विभिन्न समस्याएँ प्रस्तुत करते रहे हैं जिसमें आतंकवाद, रोहिंग्या शरणार्थी, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और धार्मिक कट्टरता जैसी समस्याएँ महत्वपूर्ण है। भौगोलिक रूप से जुड़े होने के कारण पड़ोसी देशों के साथ भारत का क्षेत्रीय सहयोग महत्वपूर्ण माना जाता है लेकिन इसमें उपरोक्त समस्याएँ अवरोध पैदा करती रही हैं। फिर भी भारत की विदेश नीति में पड़ोस नीति को पहली प्राथमिकता देना आवश्यक है। इस संदर्भ में भारत सदैव शांति, स्थिरता और समृद्धि का लक्ष्य पाने की महत्वाकांक्षा रखता है।

मूल शब्द– पड़ोस नीति, शांति, स्थिरता, रोहिंग्या शरणार्थी, भौगोलिक सन्निकटता, आतंक एवं धार्मिक कट्टरता।

विषय प्रवेश– प्राचीन भारतीय राजव्यवस्था में "मंडल सिद्धांत" को तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में कौटिल्य (चाणक्य) ने प्रतिपादित किया था। यह सिद्धांत इस अवधारणा पर आधारित है कि "हमारा पड़ोसी हमारा ही स्वाभाविक शत्रु होता है और पड़ोसी का पड़ोसी हमारा मित्र होता है।" "मंडल सिद्धांत" शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। इसे संकेंद्रित वृत्तों के माध्यम से दर्शाया गया है। इसमें निकटतम पड़ोसी देश के शत्रु (वास्तविक या संभावित) होने की सबसे अधिक संभावना होती है। निकटतम पड़ोसी के पड़ोसी वाले देश के सबसे पहले वाले देश के मित्र होने की संभावना होती है। इस तरह यह क्रम चलता रहता है। संकेंद्रित वृत्तों के केंद्र वाले देश की परख इस बात से होती है कि वह अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए क्षेत्र के अन्य देशों के बीच कितना शक्ति संतुलन बनाए रखता है। 'मंडल सिद्धांत' की प्रणाली में, कौटिल्य ने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए छह सूत्रीय विदेश नीति की अनुशंसा की हैः संधि विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव। इसे अमल में लाने के लिए उन्होंने राजा को अग्रलिखित चार युक्तियां अपनाने की सलाह दी हैः साम, दाम, दंड और भेद। संधियों और गठबंधन के सवाल पर उनका सुझाव है कि, "एक राजा को ऐसी किसी भी मिलता या गठबंधन को तोड़ने में संकोच नहीं करना चाहिए जो आगे उसके लिए नुकसानदेह सिद्ध हो। भारत के पड़ोसी देशों की पहचान के लिए कोई एकल, सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत आधिकारिक परिभाषा नहीं है। इस अवधारणा की व्याख्या प्रायः भू–राजनीतिक रूप में की जाती है। यह ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी महत्त्व के आधार पर अलग–अलग हो सकती है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत अपने निकटतम पड़ोसी देशों के साथ भौगोलिक रूप से अपनी स्थलीय एवं समुद्री सीमाएँ साझा करता है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका पड़ोसी देशों के साथ भारत के सभ्यता

आधारित संबंध हैं। इन संबंधों में साझा इतिहास, संस्कृति और लोगों के बीच परस्पर संबंध शामिल हैं। ये निकटतम पड़ोसी देश स्वतंत्रता के बाद से ही भारत की "प्राथमिकता की प्रथम परिधि" (थ्पतेज बपतबसम वि चतपवतपजल) में शामिल रहे हैं।

नेबरहुड फर्स्ट पलिसी भारतीय विदेश नीति का अभिन्न अंग रही है। इसका उद्देश्य अपने निकटस्थ पड़ोसी देशों के साथ मजबूत संबंधों को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना और साझा चिंताओं को दूर करना है।3 यह नीति भारत के परामर्शदात्री, गैर–बराबरी और विकासोन्मुख दृष्टिकोण से प्रेरित है। अर्थात पड़ोसी देशों के साथ निःस्वार्थ रूप से सहयोग की नीति अपनाना है।

दक्षिण एशिया में राज्यों की वर्तमान स्थिति भौगोलिक रूप से एक–दूसरे से सटे ये सभी देश जिस एक भौगोलिक इकाई का हिस्सा हैं यहाँ तक कि समुद्री विस्तार के कारण इस समूह से विलग देश मालदीव और श्रीलंका भी दूसरे कारणों से भारतीय उपमहाद्वीप से संबद्ध हैं– जैसे समान सभ्यता और विरासत, जातीयता, धार्मिक और भाषाई सामीप्य। इसके अलावा भौगोलिक निकटता तथा क्षेत्रीय ध्रुव, भारत से सान्निध्य के कारण परस्पर करीबी और टिकाऊ संवाद भी इसमें अहम भूमिका अदा करता है। इस उपमहाद्वीप में भारत की केंद्रीय स्थिति और वर्चस्व की वजह से पड़ोसियों के साथ उसके संबंधों में हमेशा विषमता रही है। भारत अपने पड़ोसियों की तुलना में भौगोलिक दृष्टि से विशाल और अधिक आबादी वाला देश है। सैन्य और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ देशों से कहीं ज्यादा हैं। इसे पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को तय करने मे ं भारत को मानक के तौर पर लिया जाता है।

क्षेत्रीय संघर्ष और तनाव भी इस क्षेत्र के देशों के द्विपक्षीय संबंधों के बीच बहुत मायने रखते हैं। इनके बीच रणनीतिक दृष्टिकोण में अंतर भी तनाव को बढ़ावा देता है। ब्रिटिश राज की उपमहाद्वीपीय सामरिक दृष्टि भारत को विरासत में मिली है जो इस क्षेत्रों के देशों के बीच भौगोलिक सान्निध्य पर आधारित है। लेकिन इसके विपरीत पड़ोसी देश भारत के प्रति भय से ग्रसित रहते हैं और जिसके खिलाफ सामरिक सुरक्षा अनिवार्य मानते हैं। इन पड़ोसी देशों को कुछ समस्याएँ तो सीधे ब्रिटिश राज से वसीयत में मिली हैं और कुछ समस्याएँ इनकी अपनी नीतियो ं के कारण भी हैं। पड़ोसी राज्यों में भारतीयों की संवैधानिक अवस्थिति और इससे जुड़ी आव्रजन की समस्याएँ इन राज्यों द्वारा स्वतः प्रसूत है। पाकिस्तान में चुने गए प्रधानमंत्रियों की बर्खास्तगी, सरकारों का बदलना, सैन्य तख्तापलट, श्रीलंका में जातीय हिंसा समस्याओं से गृह युद्ध की स्थिति, नेपाल में. शाही परिवार का अंत, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की हिंसक आंदोलनों में राजनीतिक हत्याएँ, बांग्लादेश में अत्यधिक हिंसा तथा बदहाली और भूटान में नेपालियों के असंतोष और उत्तर–पूर्व में भारतीय सीमा पर अलगाववादी आंदोलनों के मद्देनजर नई चुनौतियाँ सिर उठा रही हैं। विगत कई वर्षों के दौरान भारत को उसके पड़ोसियों के साथ एक स्थायी और व्यावहारिक संबंध कायम रखने में कई जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। अतः प्रत्येक पड़ोसी देश के साथ भारत के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका हल अभी तक ढूंढा नहीं जा सका है।

• **भारत की नेबरहुड पलिसी का विकास**– पड़ोसी देशों के साथ भारत सदैव बड़े स्तर पर विनम्रता से पेश आने का प्रयास किया है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के प्रति प्राथमिकताओं और धारणाओं के आधार पर, पड़ोसी देशों के साथ संबंध में रणनीतियाँ एवं प्राथमिकताएँ समय के साथ विकसित हुई हैं। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, और नस्लवाद का विरोध जैसी समान विचारधाराओं ने पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत किया था। भारत की नीति आदर्शवाद की विचारधारा से प्रेरित रही है। इसके तहत भारत के सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाने के लिए केवल निकटतम पड़ोसियों पर ही ध्यान केंद्रित किया गया है। भारत ने "क्षेत्रीय संरचना" की बजाय द्विपक्षीय वार्ताओं और संधियों के जरिये अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। भारत की.विदेश नीति दक्षिण एशियाई पड़ोस में अपनी स्थिति स्थापित करने तथा क्षेत्र में विदेशी हस्तक्षेप को स्वीकार न करने पर केंद्रित थी। सिक्किम को भारतीय राज्यक्षेत्र में शामिल करके वर्ष 1975 में भारत में इसका विलय भी कर दिया गया। मुक्ति संग्राम के बाद वर्ष 1971 में पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर एक देश बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 2 जुलाई, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। भारत और श्रीलंका के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर के पश्चात 1987 में श्रीलंका में 'भारतीय शांति रक्षक सेना' ने प्रवेश किया था। पड़ोसी देशों के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए 1985 में 'दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन' (सार्क) की स्थापना की गई थी । दक्षिण एशिया में सुरक्षा संबंधी दुविधा की प्रकृति को संघर्ष के रूप में देखने के दृष्टिकोण का त्याग किया गया और एक ऐसी सामाजिक संरचना बनाने का प्रयास किया

गया, जिसमें बिना युद्ध लड़े देशों के मध्य विवादों को हल करने और विश्वास सृजन पर बल देने के लिए गुजराल सिद्धांत पेश किया गया। इसके तहत भारत ने एकतरफा रियायत प्रदान करने की नीति के द्वारा क्षेत्र को अपना समर्थन देने का आश्वासन दिया। 1990 के दशक के आर्थिक सुधारों के उपरांत, भारत ने इस क्षेत्र के आर्थिक एकीकरण के लिए पहले भी शुरू की।

• **नेवरहुड पॉलिसी और गुजराल सिद्धांत**– भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंद्रकुमार गुजराल पांच सूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किए गये थे–

1. भारत पड़ोसी देशों को सहायता देने के बदले उनसे कोई अपेक्षा नहीं रखेगा, बल्कि सद्भावना और विश्वास के आधार पर वह सब कुछ करेगा, जो वह कर सकता है।
2. कोई भी दक्षिण एशियाई देश अपने संप्रभु राज्यक्षेत्र से इस क्षेत्र के किसी अन्य देश के हितों के खिलाफ गतिविधियां संचालित नहीं होने देगा।
3. सभी दक्षिण एशियाई देश एक–दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे।
4. सभी दक्षिण एशियाई देश एक–दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
5. सभी विवादों को शांतिपूर्ण और द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सुलझाया जाएगा।

वर्ष 2008 के बाद भारत के पड़ोसी देशों में चीन का विस्तार एवं प्रभाव बढ़ने लगा। भारत ने भी 'गुजराल सिद्धांत' को अधिक सख्ती से पालन करना शुरू कर दिया।

• **भू–राजनीतिक परिदृश्य में भारत की नेबरहुड प लिसी का महत्व**– भौगोलिक दृष्टि से, पड़ोसी देश किसी भी देश की कूटनीति का पहला चरण और विकास की कुंजी होते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था की संवृद्धि, सामाजिक विकास और भू–राजनीतिक मजबूती के लिए पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों की महत्वपूर्ण भूमिका है। भू–सामरिक हित के संदर्भ में हिंद महासागर क्षेत्र, वैश्विक सामरिक प्रतिस्पर्धा का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। इस क्षेत्र में पड़ोसियों के साथ सहयोग से दक्षिण एशिया में भारत की केंद्रीय स्थिति को मजबूती मिलेगी। पड़ोसियों के साथ सहयोग से भारत को चीन के प्रभाव कम करने और IOR में 'नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर' बनने की आकांक्षा को पूरा करने में मदद मिलेगी। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का आशय ऐसे देश से है, जो अपनी सुरक्षा करने के साथ–साथ अन्य राष्ट्रों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं का भी ध्यान रखता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे अलग–अलग बहुपक्षीय मंचों पर ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत को अपने पड़ोसी भागीदारों के साथ सहयोग करना जरूरी है। बहुपक्षीय मंचों पर उनके साथ सहयोग ने भारत के लिए द्विपक्षीय संबंधों में एक क्षेत्रीय एंव उप–क्षेत्रीय आयाम प्रदान किया है। भारत को ऐसे पड़ोसियों की ज़रूरत है, जो उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें। साथ ही, किसी भी विद्रोही समूह को भारत के खिलाफ अपनी भूमि का उपयोग करने की अनुमति न दें। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद को खत्म करने की लड़ाई में म्यांमार को एक प्रमुख भागीदार के रूप में देखा जाता है। अतः क्षेत्रीय अखंडता पर भी ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक है।

भारत में समुद्र के माध्यम से 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले जैसे खतरे और चुनौतियां उत्पन्न होने की हमेशा आशंका बनी रहती है। मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे सामुद्रिक पड़ोसी देशों के साथ सहयोग से भारत को अपने प्रादेशिक जल क्षेत्र की प्रभावी निगरानी करने –में मदद मिलेगी। भारत के उत्तरी पड़ोसी देशों (नेपाल और भूटान) में जल–विद्युत की अपार क्षमताएं मौजूद हैं। साथ ही, तेल और गैस के आयात में किसी भी बाधा से निपटने के लिए हिंद महासागर तटीय पड़ोसियों का सहयोग प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के विकास में सहायक सिद्ध होंगे। बांग्लादेश ने अपने चट्टोग्राम और मोंगला बंदरगाहों से होकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में कार्गो के पारगमन एवं ट्रांस–शिपमेंट की सुविधा प्रदान करने, को मंजूरी दी है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को म्यांमार के माध्यम से व्यापार और आर्थिक सहयोग के लिए दक्षिण–पूर्व एशिया के साथ भी जोड़ा जा सकता है। ध्यातव्य है कि म्यांमार आसियान का एकमात्र सदस्य देश है, जो भारत के साथ स्थलीय सीमा करता है। भारत का अपने पड़ोसियों के साथ मजबूत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध है। इससे भारत को क्षेत्र में विविध सांस्कृतिक मूल्यों और अपने सफ्ट पावर के प्रभाव को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। भारत और दक्षिण–पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म का प्रसार लोगों के बीच परस्पर संबंधों और राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। भारत की पड़ोस नीति

के समक्ष चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पडोस नीति के कार्यान्वयन के स्तर पर भारत को विविध प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनमें ऐतिहासिक विवादों से लेकर सुरक्षा संबंधी जटिल परिदृश्य तक को शामिल किया जा सकता है। एक स्पष्ठ पड़ोस नीति नहीं होने की वजह से, भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ अपने "संबंधों को दिशा देने" की बजाय "संबंधों के प्रबंधन" पर अधिक ध्यान दिया है। इस क्षेत्र के कुछ देशों के मध्य तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों ने क्षेत्रीय स्तर पर नीतियों के कार्यान्वयन में गंभीर चुनौतियां पैदा की है। पिछले सार्क शिखर सम्मेलन में सीमा पार ऊर्जा सहयोग, मोटर वाहनों के आवागमन और रेलवे कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित तीन समझौतों का प्रस्ताव किया गया था। इनमें से केवल ऊर्जा सहयोग पर ही हस्ताक्षर किए गए थे। पाकिस्तान ने अन्य दो समझौतों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। कहीं–कहीं अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था वाली सीमाएँ, पाकिस्तान जैसे देशों द्वारा आतंकवादियों को शरण देना, बढ़ता कट्टरपंथ और उग्रवाद आदि भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। गोल्डन ट्रायंगल तथा गोल्डन क्रिसेंट जैसे तस्करी वाले क्षेत्रों के निकट स्थित होने के कारण भारत में नशीली दवाओं की तस्करी की समस्या और बढ़ गई है। सोमालिया के तट पर पायरेसी या समुद्री डकैती की घटनाएं तथा आतंकवादियों द्वारा जलमार्गों का उपयोग करना, जैसे– मुंबई आतंकवादी हमला। दक्षिण एशिया में चीन की पेठ : वन वेल्ट वन रोड (व्ठव्) पहल को बढ़ावा देने के कारण सार्क देशों के साथ चीन के व्यापार की मात्रा में पिछले दशक में काफी अधिक और तेज गति से वृद्धि हुई है। समय–समय पर श्रीलंका, मालदीव और नेपाल सहित भारत के विविध पड़ोसियों ने 'भारत के खिलाफ चीनी पक्ष का इस्तेमाल किया है।

भारत के पड़ोसी देशों को महसूस होता रहा है कि 'भारत उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं करता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव में भारत की सैन्य कार्यवाहियों को आज भी भारत की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा के प्रमाण के रूप में देखा जाता है। खराब अवसंरचना मुक्त व्यापार और निवेश समझौतों के लाभ को सीमित कर देती है। कई सीमावर्ती जिले अपेक्षाकृत कम विकसित हैं। 1960 के दशक की शुरुआत में भारत और पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) के बीच रेल संपर्क आज की तुलना में बेहतर था। भारत–नेपाल सीमा कागजी स्तर पर ही खुली सीमा है। अवसंरचना के अभाव के कारण इस मार्ग पर आवागमन बेहद कठिन है। घरेलू–राजनीतिक मजबूरियाँ और नृजातीय विचारधाराएँ कई बार भारत की पड़ोस नीति को प्रभावित करती हैं। इससे द्विपक्षीय संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पश्चिम बंगाल के विरोध करने के कारण बांग्लादेश के साथ तीस्ता जल समझौते में देरी हो रही है। श्रीलंका में सिंहली बौद्ध बहुसंख्यकवाद के खिलाफ श्रीलंकाई तमिलों के संघर्ष को भारत का समर्थन नृजातीय विचारधारा के कारण था। नेपाल के तराई क्षेत्र में मधेशियों के हितों का समर्थन किया गया है, क्योंकि उनका भारत में घनिष्ठ पारिवारिक संबंध है। विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी? भारत की वैश्विक सफ्ट लेडिंग (कम शर्तों वाला ऋण) का 50 प्रतिशत हिस्सा उसके पड़ोसियों को प्राप्त होता है। हालांकि, ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में काफी देरी होती है। इससे पड़ोसियों में निराशा और अविश्वास पैदा हो सकता है और क्षेत्र में भारत का प्रभाव कम हो सकता है। जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएंः यह क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों का सामना कर रहा है। ये पर्यावरणीय समस्याएं विकास संबंधी पहलों को बाधित कर सकती हैं। साथ ही, जलवायु प्रवासन और इससे जुड़ी समस्याओं को भी जन्म दे सकती हैं।

कोविड–19 महामारी ने पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में बड़ी चुनौतियाँ खड़ी कर दी थी। इसे बढ़ती मुद्रास्फीति कम होती खाद्य सुरक्षा और बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता के रूप में देखा जा सकता था। इस संकट के दौरान भारत ने स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, प्रशिक्षण जैसी सार्वजनिक सेवाओं के लिए एक प्रमुख सेवा प्रदाता की भूमिका निभाई थी। इस दौरान भारत ने पड़ोसी देशों को वैज्ञानिक और तकनीकी सहायताएं भी प्रदान की थी। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत अपने निकटतम पड़ोसी देशो ं को कोविड–19 के टीके उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी। इस प्रयास ने चीन के प्रभाव का सामना करने के लिए एक शक्तिशाली सफ्ट पावर टूल के रूप में काम किया। भारत ने इस महामारी से निपटने के लिए एक क्षेत्रीय कार्य योजना तैयार करने हेतु सार्क फोरम को फिर से सक्रिय किया था। इसके अलावा, भारत ने अपने पड़ोसी देशों तक पहुंच बनाने के लिए द्विपक्षीय कूटनीति को अपनाया। भारत ने कुछ देशों में सैन्य राहत पहुंचाई, टेस्टिंग के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित की तथा महत्वपूर्ण दवाओं व अस्पताल से संबंधित उत्पादों की आपूर्ति की। इससे मालदीव जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए। भारत ने विस्तारित पड़ोसियों सहित अपने निकटतम पड़ोसियों की मदद करने हेतु कई पहलें

शुरू की, जिससे भारत की वैश्विक छवि बढ़ी और मिलता की भावना उत्पन्न हुई।

• **भारत पड़ोस नीति को अधिक मजबूत व प्रभावशाली बनाने के उपाय**– भारत की पड़ोस नीति को स्थायित्व प्रदान करने एवं उसके प्रभाव को मजबूत करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। यह इस क्षेत्र के भीतर विविध चुनौतियों का समाधान करने और अवसरों का लाभ उठाने के लिए अति आवश्यक है। पड़ोसी देशों के साथ निरंतर राजनयिक संपर्क को बढ़ावा देने के लिए भारत को सार्क, बिम्सटेक, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जैसे क्षेत्रीय मंचों का सक्रिय रूप से उपयोग करना चाहिए। ये मंच निरंतर सहभागिता, विवाद समाधान एवं क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक सशक्त माध्यम के रूप में कार्य कर सकते हैं।16 चीन के साथ चल रही वार्ताओं में वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्पष्टता को सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके साथ ही, दोनों देशों के बीच सीमा सुरक्षा सहयोग समझौते में शामिल स्वीकार्य मानदंडों का उल्लंघन करने वाली किसी भी घुसपैठ का भारत को दृढ़ता से विरोध करने के लिए तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से निपटने के लिए एक एकीकृ त प्लेटफर्म बनाना चाहिए। इस दिशा में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सक्रिय सहयोग करने पर ध्यान देना चाहिए। आंतरिक सुरक्षा संरचना को मजबूत बनाने, पड़ोसी देशों के साथ सक्रिय सहभागिता को बढ़ाने, और भारत को सबसे पहले आतंकवाद से उत्पन्न चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अपनी आंतरिक सुरक्षा संरचना को मजबूत करना होगा। भारत का दृष्टिकोण हमेशा से विश्व की प्रमुख शक्तियों को अपने पड़ोस से दूर रखने पर केंद्रित रहा है। हालांकि, चीन और पाकिस्तान से उत्पन्न चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए भारत को अपनी विदेश नीति को प्रासंगिक बनाए रखना आवश्यक है। इसके तहत संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ के साथ बेहतर रणनीतिक साझेदारी बनाना, संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स एवं G–20 जैसे बहुपक्षीय संगठनों तथा फोरम्स में सक्रिय भागीदारी करना भी शामिल है। भारत की कूटनीतिक पहलें उसके छोटे पड़ोसी देशों की अपेक्षाओं के अनुकूल और आशंकाओं के विपरीत होनी चाहिए। इसके तहत प्रत्येक देश और व्यापक क्षेत्र के लिए विशिष्ट रणनीतियाँ तैयार की जा सकती हैं। इसके लिए घरेलू स्तर पर अलग–अलग एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय तथा विदेश मंत्रालय एवं रक्षा मंत्रालय के बीच घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सड़क मार्गों, रेलवे, अंतर्देशीय जलमार्गों, बंदरगाहों, ऊर्जा नेटवर्क और डिजिटल सीमा शुल्क सहित अवसंरचना के विकास में पर्याप्त निवेश करने की आवश्यकता है। सुरक्षा के समक्ष खतरा मानने की बजाए लाभप्रद मानने की जरूरत है। संसदीय समिति ने इस उद्देश्य के लिए बिम्सटेक के तहत एक क्षेत्रीय विकास निधि स्थापित करने का सुझाव दिया है। चिकित्सा पर्यटन के अलावा पर्यटन के अन्य उप–क्षेत्रकों में निवेश को प्रोत्साहन देना चाहिए। इससे पड़ोसी देशों के लोगों के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, इससे भारत की सफ्ट पवर संबंधी छवि को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी और क्षेत्र के आर्थिक एकीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक भारत में चिकित्सा उपचार करवाने आते हैं। भारत में धार्मिक पर्यटन के लिए नेपाल से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। ये पड़ोसी देशों के साथ पर्यटन संबंधों को बढ़ाने की क्षमता के उदाहरण है। जल बंटवारा एवं पर्यावरण सहयोगः जल के बंटवारे, संधारणीय संसाधन प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण पर प्रयासों में सहयोग से साझा चुनौतियों का समाधान करने तथा पड़ोसी देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। इसे डेटा के आदान–प्रदान और वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से साकार किया जा सकता है।

• **भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों के आधार**– भारत की मुख्य भूमि तथा पूर्वोत्तर के सात राज्यों के मध्य बांग्लादेश की अवस्थिति रणनीतिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी राज्य स्थलरुद्ध हैं तथा इनके लिए समुद्र तक पहुँच का सबसे छोटा मार्ग बांग्लादेश से होकर गुजरता है। बांग्लादेश के साथ पारगमन समझौते से पूर्वोत्तर भारत के सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा उग्रवाद को नियंत्रित करने में भी सहायता मिलेगी। बिम्सटेक और ठठप्छ पहलों में बांग्लादेश द्वारा किया जा रहा समर्थन भारत के दक्षिण–पूर्व एशिया क्षेत्र में पहुंच का पूरक है। आर्थिक विकास तथा सामरिक हितों को सुरक्षित करने हेतु दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जैसे संगठनों का लाभ उठाकर, दक्षिण एशिया के राष्ट्रों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना।

बांग्लादेश हिन्द महासागरीय क्षेत्र का एक प्रमुख देश है और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के समीप अवस्थित है। दक्षिण–पूर्व हिन्द महासागर समुद्री डकैती हेतु एक प्रमुख क्षेत्र बन चुका है। इसे नियंत्रित

करने मे ं बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दोनों ही देश धर्म आधारित कट्टरपंथी संगठनों द्वारा प्रचारित की जाने वाली विचारधारा के प्रति सुभेद्य बने हुए हैं। अतः दोनों देश कट्टरता की रोकथाम करने हेतु प्रयासों, आसूचनाओं के साझाकरण और अन्य आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के लिए परस्पर सहयोग कर सकते हैं। एक मित्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश यह सुनिश्चित कर सकता है कि वह अपनी भूमि से किसी भी प्रकार की भारत–विरोधी आतंकवादी या उग्रवादी गतिविधियां नहीं संचालित होने देगा। तटस्थ बांग्लादेश इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रमकता को नियंत्रित कर सकेगा और उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति को भी प्रतिसंतुलित करने में सहायक होगा।

वर्तमान में, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 7 बिलियन अमेरिकी डलर है जबकि दोनों देशों के मध्य व्यापार संभावनाएँ वर्तमान स्तर से कम से कम चार गुना अधिक हैं। रक्षा क्षेत्र (जैसे– मिलिट्री हार्डवेयर), अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अवसंरचनात्मक विकास तथा अन्य क्षेत्रों में निवेश हेतु अनेक अवसर हैं। भारत, के सदस्य देशों के मध्य उप–क्षेत्रीय सहयोग का विस्तार करने हेतु रेल संबंधी पहलों को बढ़ावा दे सकता है जो स्थलीय बंदरगाहों और स्थलीय कस्टम केन्द्रों तथा हवाई संपर्क के क्षेत्र में नए अवसरों का सृजन करेगा। सड़क, नापरिवहन मार्गों के माध्यम से क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं को एकीकृत करने के प्रयास बेहतर लाभांश प्रदान कर सकते हैं। हाल ही में, बांग्लादेश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के विकास के लिए भारत, रूस तथा बांग्लादेश के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। हाइड्रोकार्बन, समुद्री संसाधन, डीप ओशियन फिशिंग, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण तथा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग।

बांग्लादेश का प्रथम परमाणु रिएक्टर है दक्षिण एशिया में भारत तथा पाकिस्तान के बाद तीसरा असैन्य संयंत्र है। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना रूस के स्टेट एट मिक एनर्जी क र्पोरेशन रोस्तोम द्वारा पद्मा नदी पर की जाएगी तथा न्यूक्लियर पावर र्पोरेशन इंडिया लिमिटेड इसके निर्माण, संस्थापन तथा अवसंरचनात्मक कार्यों में सहयोग करेगा। यह भारत–रूस समझौते के अंतर्गत ऐसी पहली पहल है जिसमें दोनों द्वारा किसी तीसरे देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना की स्थापना की जा रही है। भारत के परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का सदस्य न होने के बावजूद रुपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के विकास में रूस तथा भारत की साझेदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह पहली बार है जब भारत विदेश में परमाणु ऊर्जा परियोजना में भाग लेगा। इस प्रकार, इससे भारत में कुछ परमाणु ऊर्जा संयंत्र उपकरणों के विनिर्माण के माध्यम से मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा। यह भारत के परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में प्रवेश के दावे को भी सृढ़ता प्रदान करेगा। भारत और बांग्लादेश के मध्य साझा इतिहास, एक समान विरासत, भाषाई एवं सांस्कृतिक संबंध तथा संगीत, साहित्य और कला के लिए समान अभिरुचि विद्यमान है। लोगों के मध्य पारस्परिक संपर्क में वृद्धि से अन्य क्षेत्रों जैसे कि आर्थिक एवं व्यापारिक संबंधों को (विशेषतः सीमावर्ती क्षेत्रों के समीप) प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इससे विशेष रूप से बांग्लादेश के एक छोटे पड़ोसी होने के चलते उत्पन्न हुई वैमनस्यता और विश्वास में कमी को दूर करने में भी सहायता मिलेगी।

• भारत–बांग्लादेश के बीच सर्वप्रमुख विवाद के मुद्दे–

1. गंगा नदी जल विवाद– वर्ष 1996 में, दोनों देशों द्वारा गंगा के जल के साझाकरण पर सफलतापूर्वक सहमति व्यक्त की गयी थी। हालांकि, विवाद का प्रमुख क्षेत्र भारत द्वारा फरक्का बैराज (हुगली नदी में जल आपूर्ति बढ़ाने हेतु) का निर्माण एवं संचालन रहा है। बांग्लादेश द्वारा इस बात पर असंतुष्टता व्यक्त की गयी है कि उसे शुष्क मौसम के दौरान जल का उपयुक्त भाग प्राप्त नहीं होता है, जबकि इसके विपरीत मानसून के दौरान भारत द्वारा अतिरिक्त जल छोड़ने पर बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं।

2. तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना– बांग्लादेश द्वारा अपने पूर्वी किनारे पर वराक नदी पर तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य को रोकने की मांग की गयी है। बांग्लादेश का मत है कि विशालकाय बांध नदी के मौसमी बहाव को बाधित करेगा और निचले क्षेत्रों की कृषि, मत्स्यपालन तथा क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। भारत सरकार ने बांग्लादेश को आश्वासन दिया है कि तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना पर उसके द्वारा कोई भी ऐसा एकपक्षीय निर्णय नहीं लिया जायेगा, जो बांग्लादेश को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता हो।

3. तीस्ता नदी जल साझाकरण से संबंधित मुद्दा– तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम में पौहुनरी (या तिस्ता कंग्से) हिमनद से होता है तथा यह पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्रों मे ं प्रवाहित होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती

है। वहां यह ब्रह्मपुत्र नदी (बांग्लादेश में जमुना कहलाती है) में मिल जाती है। यह वांग्लादेश के वृहद रंगपुर क्षेत्र में धान की कृषि हेतु सिंचाई का एक प्रमुख स्रोत है। वर्ष 1983 में दोनों देशों के मध्य जल साझाकरण से संबंधित एक अस्थायी समझौता किया गया था, जिसके तहत बांग्लादेश को 36% तथा 'भारत को 39% जल प्रदान किया गया था, जबकि शेष 25% जल को गैर–आवंटित रखने का निर्णय किया गया था। इस अस्थायी समझौते को कार्यान्वित नहीं किया जा सका। बांग्लादेश ने 1996 की गंगा जल संधि की भांति तीस्ता के जल के भी न्यायसंगत वितरण की मांग की। 2011 में 'भारत तथा बांग्लादेश ने एक समझौते को अंतिम रूप प्रदान किया था। इसके तहत भारत को नदी जल का 42.5% और बांग्लादेश को 37.5% भाग प्राप्त होना था, जबकि शेष 20% नदी के न्यूनतम जल प्रवाह को बनाए रखने हेतु अबाधित जबकि शेष 20% नदी के न्यूनतम जल प्रवाह को बनाए रखने हेतु अबाधित रूप से प्रवाहित होता रहना था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री द्वारा विरोध किए जाने के कारण इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए जा सके थे।

4. रोहिंग्या शरणार्थी की समस्या– असम में NRC का मुद्दाः 1971 के स्वतंत्रता संघर्ष के पश्चात् जब बांग्लादेश का एक नए देश के रूप में गठन हुआ था, तब लाखों बांग्लादेशी प्रवासियों (जिसमें से अधिकांश अवैध थे) ने भारत में प्रवेश किया था। इसके कारण पूर्वोत्तर राज्यों की जनसांख्यिकी परिवर्तित हो रही है, जो इस क्षेत्र में अशांति का कारण है। लगभग 11 लाख रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश में निवास कर रहे हैं। यद्यपि भारत द्वारा रोहिंग्या संकट के समय 'अपरेशन इंसानियत' के तहत मानवीय सहायता प्रदान की गयी थी, परंतु बांग्लादेश भारत से अपेक्षा कर रहा है कि वह रोहिंग्याओं को वापस स्वदेश बुलाने के लिए म्यांमार पर दबाव डाले। भारत–बांग्लादेश सीमा छिद्रिल प्रकृति की है, जो तस्करी और हथियारों, ड्रग्स तथा लोगों के अवैध व्यापार हेतु मार्ग प्रदान करती है। भारत के पड़ोस में चीन की बढ़ती उपस्थिति चिंता का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। बांग्लादेश जैसे छोटे देश भारत के विरुद्ध अपनी सौदेबाज़ी क्षमता के पूरक के रूप में 'चाइना कार्ड' का उपयोग करते हैं। भारत बांग्लादेश के साथ 54 बड़ी और छोटी सीमापारीय नदियों को साझा करता है। इनसे सम्बंधित कुछ विवाद गंगा नदी विवाद –फरक्का बैराज का मुद्दा; तीस्ता नदी विवाद; बराक नदी – तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना विवाद आदि हैं। हरकत–उल जिहाद–अल इस्लामी जमात–ए–इस्लामी और HUJIB जैसे आतंकवादी समूह बांग्लादेश मे ं भारत–विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देते हैं। इनके द्वारा किया जा रहा दुष्प्रचार सीमा पार भी प्रसारित हो सकता है। अगस्त 2024 में बांग्लादेश उग्र छात्र आंदोलन एवं जेहादी समर्थकों द्वारा प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट करना भारत–बांग्लादेश के सम्बंध में एक नया विवाद उभर कर सामने आया है।

भारत तथा बांग्लादेश दीर्घकालिक सांस्कृतिक संबंधों को साझा करते हैं एवं एक–दूसरे के समग्र विकास के लिए पूरक भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, हालांकि इस संभाव्यता का पूर्ण रूप से लाभ नहीं उठाया जा सका है। यद्यपि हाल के वर्षों में द्विपक्षीय संबंधो में कई सकारात्मक विकास भी हुए हैं, जैसे– ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौता। भारत को विशेष रूप से चीन की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने छोटे पड़ोसी देशों का विश्वास प्राप्त करने हेतु एकपक्षीय समर्थन प्रदान करने संबंधी गुजराल सिद्धांत को अपनाना चाहिए।

अंत में यह कहा जा सकता है कि, भारत–बांग्लादेश संबंधों में सुदृढ़ ऐतिहासिक तथा सांस्कृ तिक निहितार्थ हैं तथा दोनों देशों को इस सुदृढ़ संबंध के व्यापक लाभों की समझ है। यद्यपि वांग्लादेश को कुछ मुद्दों को लेकर भारत से शिकायतें हैं, परंतु इसने अपनी राष्ट्रीय पहचान को भारत विरोधी होने के संदर्भ में तथा सांस्कृतिक समानताओं की उपेक्षा नहीं की है। उल्लेखनीय है कि भारत के कुछ अन्य पड़ोसियों के विपरीत बांग्लादेश किसी भी एक देश पर अत्यधिक निर्भर नहीं रहा है। यद्यपि, हाल में चीन के साथ इसकी निकटता में वृद्धि हो रही है। बांग्लादेश में भी महत्वाकांक्षी मध्यम वर्गीय लोग निवास करते हैं, जो भारत के साथ बेहतर संबंधों के लाभों को प्राप्त करना चाहते हैं। विगत वर्षों में देश ने लगभग 6 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि के साथ आर्थिक विकास का लाभ प्राप्त किया है। संबंधों को सुदृढ़ बनाने वाला दूसरा मुद्दा यह है कि दोनों देश न केवल परस्पर, बल्कि दक्षिण एशिया के अन्य देशों के साथ संपर्क बढ़ाने के इच्छुक है। भारत–बांग्लादेश एवं म्यांमार के मध्य एक मजबूत त्रिपक्षीय संबद्धता का प्रस्ताव, जैसे– गैस पाइपलाइन इत्यादि।

निष्कर्ष– भारत की नेबरहुड फर्स्ट पलिसी गतिशील नीति है। यह क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्य स्थापित करते हुए क्षेत्र में भारत के प्रासंगिक हितों को समायोजित करती रहती है। भारत की अपने पड़ोसी देशों के प्रति प्रतिबद्धता दक्षिण एशिया और अन्य क्षेत्रों के भविष्य को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी।

भारत अपने पड़ोसी देशों का कठिन समय में सहयोग करने और उनके साथ मिलकर काम करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहा है। ऐसे में स्थिर एवं समृद्ध पड़ोस सुनिश्चित करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो भारत के राष्ट्रीय हितों एवं विदेश नीति के उद्देश्यों के अनुरूप हो। भारतीय विदेश नीति की प्राथमिकताओं मे ं से एक रहा है कि अपने पड़ोसियों के साथ मिल कर रणनीतिक तौर पर सुरक्षित, राजनीतिक रूप से स्थिर और सौहार्दपूर्ण तथा आर्थिक सहयोग के माहौल का निर्माण किया जाए। भारत ने अपने पड़ोसियों से मित्राता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ भारत संघर्ष से बचना चाहता है; अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में है और सभी पड़ोसियों से मित्राता कायम रखना चाहता है। भारत के कई पड़ोसी गुट निरपेक्ष हैं और उन्होंने शांति की दिशा में भारत की पहल का माकूल जवाब भी दिया है। अपने अन्य पड़ोसियों के साथ भारत के संबंध मधुर है। नेपाल और श्रीलंका में गठित नई सरकारों ने भारत के साथ संबंधों को मजबूत बनाने और समझौते करने का संकल्प दोहराया है। भारत लगातार कला में आर्थिक और राजनीतिक सहयोग के लिए माहौल बनाने में अपने प्रयास जारी रखे हए है।

Author's Declaration:

I/We, the author(s)/co-author(s), declare that the entire content, views, analysis, and conclusions of this article are solely my/our own. I/We take full responsibility, individually and collectively, for any errors, omissions, ethical misconduct, copyright violations, plagiarism, defamation, misrepresentation, or any legal consequences arising now or in the future. The publisher, editors, and reviewers shall not be held responsible or liable in any way for any legal, ethical, financial, or reputational claims related to this article. All responsibility rests solely with the author(s)/co-author(s), jointly and severally. I/We further affirm that there is no conflict of interest financial, personal, academic, or professional regarding the subject, findings, or publication of this article.

संदर्भ सूची–

1. गाबा, ओम प्रकाश (2006) भारतीय राजनीतिक विचारक, नोएडा, मयूर पेपर बैक्स, पृष्ठ 49–65.
2. माध्यम दत्त, वी. पी.(2003) बदलती दुनिया में भारत की विदेश नीति, नई दिल्ली, हिन्दी कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, पृष्ठ 190–208.
3. सीकरी, राजीव (2017) भारत की विदेश नीति, नई दिल्ली,ै ।ळम् पब्लिकेशन प्रा. लि., पृष्ठ 58–73.
4. पंत, पुष्पेश (2017) प्रमुख देशों की विदेश नीतियाँ, मेरठ, मीनाक्षी प्रकाशन, पृष्ठ 472–74.
5. गौतम, वी. पी. (2004) भारत की विदेश नीति, नोएडा, मयूर पेपरबैक्स, पृष्ठ 151–168
6. कोली, सी.एम. (2001)प्रमुख देशों की विदेश नीतियाँ, जयपुर, साहित्यागार, पृष्ठ 9–73
7. Dutt, V.P.2003 India's Foreign Policy, Ghaziabad, Vikas Publication House Pvt.Ltd, Page 25-51.
8. Ghai,U.R. 2011 Foreign Policy of India, New Delhi, Cosmos Bookhive PvtLtd, Page 332-369
9. Arora, Prem 2013 Foreign Policy of India] New Delhi Cosmos Bookhive Pvt. Ltd, Page 108-117
10. Bajpai, P.Kanti and Pant, V.Hars 2014 India's Foreign Policy, New Delhi Oxford University Press, Page 127-188
11. गहलौत, डॉ. बी. सिंह (2004) भारतीय विदेश नीति, नई दिल्ली, अर्जुन पब्लिकेशन हाउस, पृष्ठ 123–128
12. Dixit, J. N. 2004 India's Foreign Policy, New Delhi, Gyan Publishing House, Page 28-40
13. खन्ना, वी. एन. (2015) भारत की विदेश नीति, नई दिल्ली, विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा.लि. पृष्ठ 178–181
14. पंत, पुष्पेश (2015) भारत की विदेश नीति, नई दिल्ली, McGraw Hill Education India Pvt. Ltd. पृष्ठ 211– 215
15. उपरोक्त, पृष्ठ।

Cite this Article

"डॉ0 सुनीता महतो", "भारत और बांग्लादेश के मध्य संबंधः एक समीक्षा (भारत और पड़ोसी देश के संदर्भ में)", ResearchNext International Multidisciplinary Journal (RPIMJ), ISSN: 3107-9725 (Online), Volume:2, Issue:2, April-June 2026.

"Copyright © 2026 The Author(s). This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY), allowing others to use, share, modify, and distribute it with proper credit to the author."